न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी – राकेश कुमार गुप्ता (आर ए एस)
राजस्व प्रकरण संख्या – 36 / 2020

उनवान

1. लाली देवी पत्नी गोपालनाथ जाति जोगी निवासी रतनपुरा

--- वादीगण – जरिये अधिवक्ता श्री सीतारामं रावत

बनाम

1. कालू पुत्र जीवण जाति जाट
2. प्रेम पत्नी जीवण जाति जाट निवासी ग्राम हनुवंतिया
3. मैनेजर आईसीआईसीआई शाखा नसीराबाद
4. मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया नसीराबाद
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद

--- प्रतिवादीगण :–

वाद पत्र बाबत अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राज0 काश्त0 अधि0 1955

–: निर्णय :– दिनांक :– 19.8.20

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादी की ग्राम हनुवंतिया में वादी एवं प्रतिवादीगण की सहखातेदारी/सहकाश्तकारी की आराजियात स्थित है। जिसके खाता संख्या 472/199 खसरा नम्बर 1239, 1349, 2423, 2427 रकबा 0.31, 0.30, 0.24, 0.15 है। वर्तमान जमाबंदी में खातेदार कालू पुत्र जीवण का 1/3 हिस्सा तथा प्रेम पत्नी जीवण का 1/3 हिस्सा एवं लाली देवी पत्नी गोपालनाथ का 1/3 हिस्सा निहित है। वादग्रस्त आराजी मुतनजा आज दिनांक तक अविभाजित है। अतः वादग्रस्त आराजियात का बंटवारा बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स अनुसार किया जाकर वादी को खातेदार घाषित किये जाने हेतु निवेदन किया। व वादग्रस्त आराजियात का अन्यत्र बय,बेचान, रहन या अन्य तरीके से हस्तांतरण नहीं करे इस हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने हेतु निवेदन किया।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 5 बावजूद तामिल उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2020.09.28 16:27:43 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में वाद के समर्थन में वाद का खण्डन नहीं होने से तनकियात कायम नहीं की गयी।

अधिवता वादी ने वाद पत्र के समर्थन में आधार जमाबन्दी संवत 2071–74, दस्तावेज प्रस्तुत किये।

वकील वादी एवं प्रतिवादी ने साक्ष्य पेश नहीं कर सीधे ही बहस करना जाहिर किया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन व अनुशीलन किया गया। विद्वान अधिवक्ता वादीगण की बहस पर मनन किया।

वादी द्वारा ग्राम हनुवंतिया के खाता संख्या 472/199 खसरा नम्बर 1239, 1349, 2423, 2427 रकबा 0.31, 0.30, 0.24, 0.15 की आधार जमाबन्दी पेश की है आधार जमाबन्दी अनुसार वादग्रस्त आराजी कालू पुत्र जीवण, कालूराम पुत्र जीवण, प्रेम पत्नी जीवण, लाली देवी पत्नी गोपालनाथ वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। वादी अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि कालू पुत्र जीवण व कालूराम पुत्र जीवण एक ही व्यक्ति है। उक्त आराजी राजस्व अभिलेख में अविभाजित है। वादग्रस्त आराजी के विभाजन से उभयपक्ष के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडेगा। प्रतिवादीगणों ने वाद में किसी प्रकार का कोई खण्डन नहीं किया है। वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के पक्ष में रहन दर्ज है। किन्तु विभाजन के बाद भी उक्त आराजी उनके नाम ही रहन दर्ज होगी इस कारण प्रकरण में उनके हित प्रभावित नहीं होते है। विभाजन के प्रकरण में बैंक की तलबी भी आवश्यक नहीं है। प्रतिवादीगण कोई आपत्ती हो तो विभाजन प्रस्ताव के समय पेश कर सकते है। आराजी मुतनाजा का विभाजन भूमि की किस्म, मूल्य व लगान के आधार पर किया जाना ही न्यायोचित है।

अतः ग्राम हनुवंतिया के खाता संख्या 472/199 खसरा नम्बर 1239, 1349, 2423, 2427 रकबा 0.31, 0.30, 0.24, 0.15 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स अनुसार विधिवत विभाजन उभयपक्ष की विधिवत उपस्थिति में तैयार कर इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की प्राथमिक डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19.8.20 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2020.09.28 16:27:43 IST
Reason: SelfAttested

प्रारंभिक डिक्री व मुकदमा इबतदाई

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

नाथी बनाम कानू

दावा बाबत :— 53,88,188 रा.का.अधि. 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर :— 36 / 20
पेश करने की दिनाक :— 23.6.2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू श्री राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुददई मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम हनुवंतिया के खाता संख्या 472 / 199 खसरा नम्बर 1239, 1349, 2423, 2427 रकबा 0.31, 0.30, 0.24, 0.15 की आराजी पर वादी का वाद **''स्वीकार''** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स अनुसार विधिवत विभाजन उभयपक्ष की विधिवत उपस्थिति में तैयार कर इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। पक्षकार खर्चा स्वय वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 19 माह 8 सन् 2020 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2020.09.28 16:27:43 IST
Reason: SelfAttested